प्रेस नोट/सराहनीय कार्य- *(पत्रांक-87/2025 दिनांक 28.03.2025)* *दिनांक-28.03.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा अलग अलग पशु तस्करी गैंग के कुल 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुँदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2025 को दो ॲलग अलग पशु तस्करी गैग से संबंधित अभियुक्तगण 1.राजन प्रसाद पुत्र विनोद प्रसाद 2. एक महिला निवासीगण पगरा पड़री थाना पटहेरवा कुशीनगर 3.मोसाहेब अली अंसारी पुत्र असगर अंसारी निवासी कुचिया पिपरा फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर 4. तबरेज पुत्र हारून निवासी कंचनपुर थाना तरकुलवा जिला देवरिया 5. छोटे उर्फ गफ्फार पुत्र हबीब निवासी सेमरा हर्दो टोला लक्ष्मीपुर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर के विरूद्ध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने-अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशुओं को उत्तर-प्रदेश/ बिहार राज्य में ले जांकर गोकशी कर अधिक रूपयेँ अर्जित कर अपना जीवन यापन करते है। गैंग के सदस्य 1- राजन प्रसाद पुत्र विनोद 2- एक महिला पता उपरोक्त द्वारा दिनांक-03.04.2023 को एक अदद महिन्द्रा मैक्सी मैजिक वाहन सं0 UP57BT0785 पर 03 राशि गोवंशीय पशु लाद कर वध हेतु बिहार ले जा रहे थे कि मुखबीर की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा बरामद किया गया तथा बरामदगी के आधार पर थाना तमकुहीराज पर मु0अ0स0 92/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम 1.राजन पुत्र विनोद प्रसाद 2. एक महिला निवासीगण पगरा पड़री थाना पटहेरवा कुशीनगर पंजीकृत है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पशु तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरूद्ध आज थाना तमकुहीराज पर मु0अ0स0 121/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी । इसी प्रकार गैंग के सदस्य 1.मोसाहेब अली Edit with WPS Office

अंसारी पुत्र असगर अंसारी 2. तबरेज पुत्र हारून निवासी कंचनपुर 3. छोटे उर्फ गफ्फार पुत्र हबीब पता उपरोक्त द्वारा दिनांक-21.05.2023 को एक अदद पिकअप नं0 UP57BT1281 पर कुल 03 राशि गोवंशीय पशु लाद कर वध हेत् बिहार ले जा रहे थे कि मुखबीर की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा बरामद किया गया तथा बरामदगी के आधार पर थाना तमकुहीराज पर मु0अ0स0 148/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम 1.मोसाहेब अली अंसारी पुत्र असगर अंसारी निवासी कुचिया पिपरा फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर 2. तबरेज पुत्र हारून निवासी कंचनपुर थाना तरक्लवा जनपद देवरिया 3. छोटे उर्फ गफ्फार पुत्र हबीब निवासी सेमरा हर्दी टोला लक्ष्मीपुर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर पंजीकृत है । यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पश् तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरूद्ध आज थाना तमक्हीराज पर मु0अ0स0 122/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के मुकदमें में एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2025 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 160/2025 धारा 69/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चन्दन गौतम पुत्र स्व0 पूर्णवासी सा0 भरवलिया थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 160/2025 धारा 69/352/351(3) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-

चन्दन गौतम पुत्र स्व0 पूर्णवासी सा0 भरवलिया थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अतुल कुमार थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

2. का0 कैलाशनाथ सहय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

3. का0 संदीप गौड थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

एक पिकप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 04 राशि गोवंश के साथ दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री अमित सक्सेना के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.03.2025 को थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु चेकिंग के दौरान थाना पटहेरवा क्षेत्र से एक पिकप वाहन नं0 UP 42 BT 5865 से 04 राशि गोवंशीय पशुओं को निर्दयता पूर्वक रस्सी से बाधकर लादकर वध हेतु बिहार राज्य ले जायी जा रही, बरामद किया गया तथा मौके से 1-वाहन चालक देवतादीन उर्फ अरुण पुत्र मातादीन निवासी पोरे उमराव बेनीपुरा रोनाही थाना रौनाही जनपद अयोध्या व 2- दीपक यादव पुत्र वरूण कुमार यादव निवासी बारून बाजार तरमा थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या को गिरफ्तार किया गया। वाहन के अन्दर से एक लकड़ी का ठीहा, एक बांका व 08 अदद गोवंशीय पशुओं का कूटरचित तरीके से तैयार किया गया फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0ॲ0सं0 75/2025 धारा 3/5A,5B/8 गोवंध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट व 319(2),318(4),336(3),340(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 75/2025 धारा 3/5A,5B/8 गोवंध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट व 319(2),318(4),336(3),340(2) बीएनएस थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1. देवतादीन उर्प अरूण पुत्र मातादीन साकिन पोरे उमराँव बेनीपुरा रौनाही थाना रौनाही जनपद अयोध्या
- 2. दीपक यादव पुत्र वरूण कुमार यादव साकिन बारून बाजार तरमा थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या



- 01. एक पिकप वाहन नं0 UP 42 BT 5865
- 02. 04 राशि गोवंश (03 राशि गाय व 01राशि बछड़ा)
- 03. 08 अदद कूटरचिंत तरीके से तैयार किया गोवंशीय पशु का मेडिकल रिपोर्ट
- 04. एक अदद लकड़ी का ठीहा व एक अदद बांका

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1. SO श्री दीपक कुमार सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 2. उ0नि0 श्री मनोंज कुमार वर्मा चौकी प्रभारी फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 3. उ0नि0 श्री उमेंश यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 4. उ0नि0 श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा थाना पटहेरवा कुशीनगर
- 5. उ0नि0 श्री विशाल कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 6. का0 मुलायम यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 7. का0 आनन्द गुप्ता थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 8. का0 रितेश कुमार राय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 9. का0 अरविन्दं कुमार यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 10. का0 अर्जुन खरवार थाना पटहेरवा जनपद कुशीननगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा चोरी आदि के मुकदमे में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2025 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 68/25 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चांद शेख पुत्र इस्लाम शेख सा0 वार्ड नं0.4 गांधीनगर (गुदरी मोहल्ला) थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0ंसं0 68/25 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-

चांद शेख पुत्र इस्लाम शेख सा0 वार्ड नं0.4 गांधीनगर (गुदरी मोहल्ला) थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 अंमित शर्मा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

- 2. उ0नि0 नवनीत राय थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 3. हे0का0 नरेन्द्र यादव थाना तमकुँहीराज जनपद कुँशीनगर
- 4. का0 कृपाशंकर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 31 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-68 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-51, व्यक्ति-156
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-35)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

